92

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प सागर संभाग सागर

= == = === = = = = == === निग- 1867-III-14 = = = = =

रामबाबू पिता रामसहाय ब्राह्मण

निवासी- ग्राम- नाउखेडा तह॰ खुरई जिलासागर म॰प्र॰

-आवेदक/निगरानीकर्ता

।। विरूद्ध ।।

म0प्र0 शासन

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰

निगरानीकर्ता यह निगरानी अपर कलेक्टर सागर के प्र॰क्र॰ 193अ6अ/13-14 में आंशिक नक्शा अक्स संशोधन आदेश जिसमें राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं तहसीलदार प्रतिवेदन के अनुसार बन्दोबस्त त्रुटि सुधार किये ना जाने के कारण उक्त आंशिक बन्दोबस्त त्रुटि संशोधन से परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है:-

।। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य ।।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नाउखेडा तह॰ खुरई में आवेदक का पैतृक मकान 40 वर्गफुट में बना हुआ है उक्त मकान से लगे हुएपुराने ख॰नं॰ 89/1, 89/2, 89/3,89/6, एवं ख॰नं॰87 के भूमि स्वामी नम्बर लगे हुये थे उक्त भूमि स्वामियों एवं लगानी भूमि आवेदकगण के परिवार वालों ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी उक्त लगानी नम्बर आबादी के पास लगे होने के कारण बन्दोबस्त दौरान आबादी मद दर्ज कर दिये जिससे उक्त भूमियों की विक्रय पत्र आवेदक के परिवार वालों ने ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर आबादी अनुसार भूमि स्वामीयों के पारसानों से विक्रय पत्र निष्पादित करवाये उक्त भूमि आबादी शासन मद दर्ज होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा आवेदक के विरूद्ध उक्त भूमि/2/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1867—III/2014 जिला—सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक 19अ—6 वर्ष 2013—14 में पारित आदेश में आंशिक नक्शा अक्श संशोधन कर राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन एवं नायब तहसीलदार मण्डल खिमलाशा के प्रतिवेदन अनुसार बन्दोबस्त त्रुटि सुधार न किये जाने से परिवेदित होकर नायब तहसीलदार खिमलाशा एवं राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन अनुसार बन्दोबस्त त्रुटि सुधार किये जाने हेतु यह निगरानी म.प्र. भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत (जिसे आगे संहिता कहा जावेगा) के अन्तर्गत इस न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रकरण का सारांश यह है कि मौजा नाउखेड़ा स्थित भूमि खसरा नं. 132 रकवा 0.06 हे. भूमि बन्दोबस्त के पूर्व भूमिस्वामी भूमि थी जो आवादी के पास लगे होने के कारण बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा बन्दोबस्त त्रुटि से आवादी मद दर्ज की। उक्त भूमि पर आवेदक के परिवार वालों ने पूर्व भूमि स्वामी से अंश रकवा 0.2 हे. खड़ैरा मकान अलग—अलग विकय पत्रों के माध्यम से पूर्व भूमि स्वामियों के वारिसों से रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से क्रय कर ग्राम पंचायत में नामान्तरण दर्ज कराया था। उक्त पुराने मकान गिराकर नया निर्माण आवेदक के परिवार वालों द्वारा करने पर हल्का पटवारी द्वारा रंजिश वश अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट नायब तहसीलादार खिमलासा के न्यायालय में प्रस्तुत की। जिस पर नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा	

 निग.. 1867-14/14

धारा 248 के तहत कार्यवाही संधारित की एवं राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण एवं नजरी नक्शा आहूत की एवं न्यायालय में कथन दर्ज करवाये जिस पर राजस्व निरीक्षक खिमलासा द्वारा स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिवेदन नजरी नक्शा दिनांक 03.11.2011 न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें प्रतिवेदित किया कि भूमि ख.नं. 132 रकवा 0.6 हे. भूमि बन्दोबस्त पूर्व लगानी भूमि थी जो आवेदक के परिवार वालों ने पूर्व भूमि स्वामी के वारिसों से रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से क्रय कर पुराना निर्माण हटाकर ग्राम पंचायत से अनुमति लेकर एवं नक्शा पास कराकर नया निर्माण कार्य प्रारम्भ किया है इस कारण से उक्त भूमि बन्दोबस्त त्रुटि के कारण आवादी मद में दर्ज हो गयी। उक्त बन्दोबस्त त्रुटि सुधार की जाना उचित है एवं आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 की कार्यवाही समाप्त किया जाना विधिसंगत है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं स्थल पंचनामा एवं नजरी नक्शा के आधार पर उक्त बन्दोबस्त त्रुटि सुधार किये जाने हेतु प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2012 को आवेदक के बन्दोबस्त त्रुटि सुधार प्रकरण कमांक 5–अ–5 वर्ष 2011–12 के माध्यम से अपर कलेक्टर सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की। उक्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर सागर द्वारा राजस्व निरीक्षक खिमलासा को अभिलेख सहित आहूत किया एवं अभिलेख का परीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व निरीक्षक मण्डल खिमलासा अभिलेख सहित अपर कलेक्टर सागर के न्यायालय में रिकार्ड सहित उपस्थित हुये एवं बन्दोबस्त के पूर्व के अभिलेख एवं वर्तमान अभिलेख के आधार पर रिकार्ड

दुरस्ती हेतु प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2013 एवं तुलनात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2013 एवं नक्शा अक्श दिनांक 31.07.2013 प्रस्तुत किया जिसमें प्रतिवेदित किया कि ख.नं. 132 में से 0.2 हे. एवं ख.नं. 134 में से 0.1 हे. भूमि बन्दोबस्त त्रुटि से आवादी एवं रास्ते मद में मौजा नाउखेड़ा में दर्ज हुई है। उक्त बन्दोबस्त त्रुटि सुधार किये जाने हेतु प्रतिवेदन नक्शा अक्श एवं तुलनात्मक सारणी अपर कलेक्टर न्यायालय सागर में 31.07.2013 को प्रस्तुत की एवं प्रतिवेदित किया कि भूमि ख.नं. 134 में से अंश रकवा 0.1 हे. भूमि नक्शा अक्श अनुसार रास्ते मद से पृथक कर आवेदक के नाम से दर्ज की जावे एवं नायब तहसीलदार द्वारा आवेदक के विरूद्ध संधारित संहिता की धारा 248 की कार्यवाही समाप्त की जावे एवं ख.नं. 132 में से अंश रकवा 0.02 हे. आवेदक के नाम तुलनात्मक प्रतिवेदन एवं नक्शा अक्श अनुसार दर्ज की जावे, परन्तु अपर कलेक्टर सागर द्वारा उक्त तुलनात्मक प्रतिवेदन एवं नक्शा अक्श के अंश रकवा को स्वीकार कर आवेदक के विरूद्ध संधारित संहिता की धारा 248 की कार्यवाही समाप्त कर विकय पत्रों के आधार पर आवेदक के परिवार वालों के नाम दर्ज किये जाने हेतु नायब तहसीलदार खिमलासाा को निर्देशित किया। उक्त प्रत्यावर्तित आदेश को संशोधन कराने हेतु आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की।

निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन इस न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें प्रमाणित पाया कि मौजा नाउखेड़ा का खसरा नं. 132 बन्दोबस्त पूर्व भूमि स्वामी खसरा नं. से बना है जो आवादी के पास लगे

 निग. 1867. 15/14

होने के कारण बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा आवादी मद में दर्ज कर दिया एवं पुराना ख.नं. 87 जिस पर आवेदक का बन्दोबस्त से पूर्व का मकान बना हुआ है उसमें से 0.01 हे. भूमि रास्ते मद में दर्ज कर ख.नं. 134 में समाहित कर दी । उक्त भूमि आवेदक के परिवार वालों ने अलग–अलग विक्रय पत्र दिनांक 31.04.1992 एवं 17.11.2009 एवं 02.06.2009 एवं 14.12.2009 से पूर्व भूमि स्वामी के वारिसानों से क्रय की जो अभिलेख के परीक्षण एवं राजस्व निरीक्षक खिमलासा एवं नायब तहसीलदार खिमलास के प्रतिवेदन से प्रमाणित है। उक्त भूमि आवेदक को अपने परिवार से प्राप्त हुई है। इस कारण से उक्त भूमि बन्दोबस्त त्रुटि सुधारकर आवेदक नाम पर दर्ज किये जाना उचित है। उक्त प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में अपर कलेक्टर सागर द्वारा आदेश दिनांक 05.02.2014 द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 248 की कार्यवाही समाप्त की, जो उचित है, परन्तु अपर कलेक्टर सागर द्वारा राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित तुलनात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.07.13 एवं नक्शा अक्श दिनांक 31.07.13 के अनुसार अभिलेख एवं नक्शा दुरूस्त नहीं कर तहसीलदर को प्रकरण प्रत्यावर्तित किया, से मैं संहमत नहीं हूँ। इस कारण से अपर कलेक्टर सागर के आदेश का संशोधन कर आदेश देता हूँ कि तहसीलदार खुरई, राजस्व निरीक्षक खिमलासा के प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2013 प्रदर्श पी–1 एवं नक्शा अक्श दिनांक 31.07.2013 एवं तुलनात्मक प्रतिवेदन दिनांक 31.07.2013 पी–3 के अनुसार मौजा नाउखेड़ा की भूमि खसरा नं. 132/2 रकवा 0.02 हे. एवं खसरा नं. 134 रकवा 0.1 हे. जो रास्ते मद से पृथक कर आवादी मद में अधीनस्थ

 निग. 1867-II/14

	न्यायालय द्वारा आदेशित किया था कि उक्त भूमि में, मैं आवेदक का नाम दर्ज किया जाना उचित समझता हूँ। उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार कर अपर कलेक्टर सागर के आदेश दिनांक 05.02.2014 को संशोधित कर तहसीलदार खुरई को आदेश देता हूं कि तहसीलदार खुरई नायब तहसीलदार के प्रतिवेदन दिनांक 30.05.2012 के अनुक्रम में एवं राजस्व निरीक्षक खिमलासा मण्डल के प्रतिवेदन, तुलनात्मक सारणी एवं नक्शा अक्श दिनांक 31.07.2013 यथावत स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त राजस्व निरीक्षक खिमलासा के प्रतिवेदन तुलनात्मक सारणी एवं नक्शा अक्श इस न्यायालय द्वारा यथावत स्वीकृत किये जाने के अनुक्रम में मौजा नाउखेड़ा की भूमि खसरा नं. 132 रकवा 0.06 हे. में से ख. नं. 132/2 रकवा 0.02 हे. भूमि एवं ख.नं. 134 रकवा 2.32 हे. में से रास्ता मद से पृथक कर ख. नं. 134/2 रकवा 0.01 हे. भूमि आवेदक रामबाबू पिता रामसहाय के नाम से राजस्व अभिलेखों में भूमिस्वामी दर्ज किया जावे। सदस्य	